Navodya Times Edition Delhi
5.5.2017 Page 2
Height 11.36cm Width 18.85 cm

दो करोड़ 33 लाख फर्जी उपभोक्ता रेस से हुए बाहर

आधार लिंक राशन कार्ड से बचाए 14 हजार करोड़

नई दिल्ली, 4 (ब्यूरो) : देश को खाद्य सुरक्षा अधिकार मिलने के बाद हर घर में राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस कड़ी में उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय ने आधार लिंक राशन कार्ड को बढ़ाने का काम किया है। इसके बाद देश में दो करोड़ 33 लाख फर्जी उपभोक्ता बाहर हो गए और देश को 14 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिला है। इस पैसों को दूसरी सुविधाओं में लाकर अन्य लाभ देने की तैयारी की जा रही है।

केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मामले के मंत्री राम विलास पासवान ने बताया कि देश में 81 करोड़ लोगों को पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम का लाभ दिया जा रहा है। इसमें सरकार सब्सिडी पर लोगों को सस्ता अनाज मुहैया करवाने का काम कर रही है। इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन और आधार लिंक आधारित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 75 फीसदी और शहरी क्षेत्र में 50 उपभोक्ता हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटल सिस्टम होने के बाद 33 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को जोड़ा गया है। आधार कार्ड से लिंक राशन कार्ड का काम 77.19 फीसदी पूरा हो चुका है जबकि बचा हुआ काम जल्द हो जाएगा। अभी तक जो आंकड़े सामने आएं हैं उसमें 2 करोड़ से ज्यादा फर्जी उपभोक्ता पाए गए। इन सभी को हटाने के बाद सरकार को 14 हजार करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

उन्होंने बताया कि तीन साल पहले पांच राज्य ऑनलाइन सेवा से जुड़े थे, जो अब 100 फीसदी हो चुके हैं। अब एक साल में 100 प्रतिशत कैशलेस सेवा करने पर मंत्रालय काम कर रहा है।

ग्राहक सुरक्षा अथॉरिटी को मिलेंगे ज्यादा अधिकार

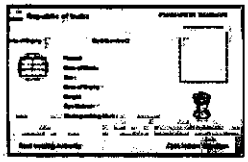

नोटबंदी को बोल गए नसबंदी, सुधारी गलती

कैशलेस सिस्टम को लागू करने के साथ केंद्रीय मंत्री नोटबंदी की तारीफ करते-करते अचानक नसबंदी बोल गए। कुछ देर तक सन्नाटा फैल गया बाद में मौजूद लोगों ने उन्हें नसबंदी नहीं नोटबंदी कहना है बताया। इसके बाद उन्होंने गलती सुधारी और माफी भी मांगी।

नोएडा-ग्रेनो के बायर्स जाएं उपभोक्ता फोरम

उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट बायर्स अपने अधिकारों को जाने और उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज करवाएं। उन्हें न्याय मिलेगा। जिला उपभोक्ता फोरम को मंत्रालय ने और अधिकार दिए हैं। इसमें 20 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकर बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ग्राहक को वकील की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम से मामला जीतने के बाद कंपनी राष्ट्रीय फोरम नहीं जा पाएगी। इससे ग्राहकों को न्याय मिलेगा और समय भी बचेगा।